न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 20/2018

1. सुखमन्दरसिंह पुत्र हरबंससिंह जाति जटसिख निवासी 15 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. प्रेमचन्द पुत्र रामलाल जाति राजपूत निवासी 15 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर जरिये मु.आम सुखमन्दरसिंह। —अपीलार्थीगण

बनाम

1. गुरवीरसिंह पुत्र निर्भयसिंह जाति जटसिख निवासी 15 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. निर्भयसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी 15 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदपमुर। —रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पदमपुर दिनांक 31.01.2018

उपस्थितिः–

श्री तेजासिंह अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री कुलविन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पों.

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण निर्भयसिंह व गुरवीरसिंह ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दिनांक 18.01.2018 को पेश कर चक 15 बी.बी. के मु.नं. 57 के कि.नं. 6 से 11, 20, 21 की कुल 0.227है0 भूमि बतौर स्माल पेच में आवंटन करने का निवेदन किया। उक्त प्रा.पत्र पर पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिये गये साथ ही तहसीलदार व ग्राम पंचायत को आपत्ति पेश करने हेतु नोटिस जारी करने का आदेश दिया

28/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

गया। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 31.01.2018 को विवादित भूमि का आवंटन रेस्पों. को कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा पूर्व में दिये गये प्रा.पत्र पर विचार किये बिना ही रेस्पों. को आवंटन कर दिया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के प्रा.पत्र का उल्लेख है लेकिन अपीलांट को आवंटन नहीं करने के बाबत कोई जिक नहीं किया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। स्मालपेच के आवंटन में चिपते हुए काश्तकारों को नोटिस देना आज्ञात्मक प्रावधान है। रेस्पों. सं. 1 व 2 के पास पूर्व से ही सीलिंग सीमा से अधिक भूमि है। इसलिए वह आवंटन करवाने के अधिकारी नहीं थे। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय द्वारा रेस्पों. को जो आवंटन किया है वह उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. द्वारा प्रा. पत्र पेश करने पर तहसीलदार व ग्राम पंचायत को आपत्ति पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत व तहसीलदार द्वारा अधी. न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गई एवं सभी के एतराज लिये गये। अपीलांट उक्त भूमि को आवंटन करवाने के अधिकारी नहीं है। रेस्पों. आवंटन करवाने के पात्र थे। रेस्पों. की भूमि सीलिंग सीमा में नहीं आती। आवंटन के पश्चात रेस्पों. द्वारा राशि जमा करवा दी है। अपीलांट का किसी प्रकार से प्रकरण नहीं बनता था एवं अपीलांट आवंटन की पात्रता नहीं रखता था। रेस्पों. को आवंटन का पात्र मानते हुए अधी. न्यायालय ने आवंटन किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

28/5/18

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 31.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स के पक्ष में स्मालपेच भूमि का आवंटन किया गया है जो अधी. न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया है जिसे अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय का क्रियात्मक अंश है कि आपत्तिकर्ता सुखमन्दरसिंह का जमाबन्दी रिकार्ड में नाम अंकन नहीं है और न ही प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि आवंटन किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रेमचन्द द्वारा उक्त रकबा सुखमन्दरसिंह को बेचान कर दिया है। अतः आपत्तिकर्ता सुखमन्दरसिंह व प्रेमचन्द द्वारा प्रस्तुत दोनों ही प्रा.पत्र आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार पदमपुर की रिपोर्ट दिनांक 23.01.2018 के अनुसार चक 15 बी.बी. के मु.नं. 57 के कि.नं. 6/2 से 9/2 प्रत्येक में 0.025है0 , 10/2 में 0.051है0 , 11/2 में 0.025है0 , 20/2 में 0.025है0 , 21/3 में 0.026है0 कुल 0.227है0 नहरी भूमि रकबा राज है। उक्त रकबा पूर्व में खाला था वर्तमान में रकबा राज भूमि रिकार्ड दर्ज है। रिकार्ड में किसी न्यायालय का वाद या स्थगन दर्ज नहीं है। उक्त रकबा प्रार्थीगण के रकबा के साथ चिपता हुआ है एवं अन्य चिपते काश्तकारों का विवरण दर्ज नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा रिपोर्ट तहसीलदार का अध्ययन किया। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी निर्भयसिंह के नाम 10.190है0 नहरी मय खाला व गुरवीरसिंह के नाम 8.882है0 नहरी व खाला दर्ज है एवं चक 15 बी.बी. के मु.नं. 57 के कि.नं. 6/2 से 9/2 प्रत्येक 0.025है0 , 10/2 में 0.051है0, 11/2 0.025है0, 20/2 में 0.025है0, 21/3 में 0.026है0 कुल 0.227है0 नहरी भूमि रकबा राज दर्ज है जो प्रार्थीगण की भूमि के सटते हुए है। आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति को निरस्त किया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण उपर्युक्त भूमि आवंटन करवाने के पात्र हैं। स्मालपेच श्रेणी की भूमि का आवंटन राज्य सरकार की सूचना अनुसार वर्तमान आरक्षित कीमत या वर्तमान डी.एल.सी. दर का आधा दोनों में से जो अधिक हो की दर से आवंटित की जा सकती है। चक 15 बी.बी. की वर्तमान में डी.एल.सी. की दर की

23/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रति प्रस्तुत की है जिसके आधार पर डी.एल.सी. दर का आधा वर्तमान आरक्षित मुल्य से अधिक है। अतः उपर्युक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण को वर्तमान डी.एल.सी. दर के आधे से स्मालपेच में आवंटन किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण निर्भयसिंह , गुरवीरसिंह को चक 15 बी.बी. के मु.नं. 57 के कि.नं. 6/2 से 9/2 प्रत्येक में 0.025है0 , 10/2 में 0.051है0 , 11/2 में 0.025है0 , 20/2 में 0.025है0 , 21/3 में 0.026है0 कुल 0.227है0 नहरी भूमि को वर्तमान डी.एल.सी. की दर की आधी कीमत पर राज.उपनिवेशन(गंग कनाल क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1956 के नियम 3(2) के तहत स्माल पेच में आवंटित की जाती है।

अधी. न्यायाय की पत्रावली पर उपलब्ध रेस्पों. का स्मालपेच का प्रार्थना पत्र, इस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट जो तहसीलदार पदमपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी को अग्रेषित है, के अवलोकन से विधिक प्रकिया पूरी होकर स्मालपेच आवंटन के आज्ञापक प्रावधान सार्वजनिक नोटिस कमांक 457 दिनाक 23.01.2018 जारी होना प्रमाणित है जिसकी पालना में अपीलांट द्वारा आपत्तियां पेश की जिसका निस्तारण निर्णय दिनांक 31.01.2018 में किया जाकर आवंटन किया है। अतः अपील मीमों का मुख्य आक्षेप है कि आदेश एकतरफा पारित किया है, रिकार्ड से परे है। अतः अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर